वी रामास्वामी सीजे और जीआर मजीठिया जे के समक्ष

अनंत राम और अन्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

मुरारी लाल, प्रतिवादी।

1988 की अवमानना अपील संख्या 15

और सिविल मिसे. 1988 की संख्या 4401-सीआईआई।

22 नवंबर 1988.

न्यायालय अवमानना अधिनियम ( lxx का 1971 )— धारा 2(बी)-क्षेत्र-सिविल ■अवमानना-अर्थ-न्यायालय को वचन-पत्र-ऐसे वचन-पत्र देने का तरीका-समझौते के आधार पर निर्णय लिया जाता है-न्यायालय को कोई वचन-पत्र नहीं दिया गया-समझौते पर पारित डिक्री की अवज्ञा -क्या यह अवमानना की श्रेणी में आता है?

माना गया कि सिविल अवमानना का गठन करने के लिए न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना होगा। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति दो वर्ष में एक वचनपत्र दे सकता है; (ए) एक हलफनामा या एक आवेदन दाखिल करके स्पष्ट रूप से वचनबद्धता निर्धारित करना; (बी) उसके द्वारा दिए गए स्पष्ट और स्पष्ट मौखिक वचन द्वारा और न्यायालय द्वारा अपने आदेश में शामिल किया गया। (पैरा 9).

यह माना गया कि 'न्यायालय को दिए गए मौखिक वचन का उल्लंघन भी अवमानना माना जाएगा, यदि इसे न्यायालय के आदेश में शामिल किया गया है। वर्तमान मामले में, किराया नियंत्रक ने पार्टियों के बयान से यह निष्कर्ष निकाला कि एक अंडरटेकिंग थी जो अदालत को दी गई थी, लेकिन वास्तव में, ऐसा कोई अंडरटेकिंग नहीं दिया गया था। किराया नियंत्रक ने पार्टियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एक सहमति आदेश पारित किया। कोई भी पक्ष निष्पादन करके समझौता आदेश लागू कर सकता है न कि अवमानना कार्यवाही का सहारा लेकर। यदि किराया नियंत्रक द्वारा पारित समझौता आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो प्रतिवादी निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करके इसे लागू कर सकता है।

(पैरा 11)

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19(1)(ए) के तहत अपील, प्रार्थना करते हुए कि:-

(i) मामले के रिकॉर्ड तलब किए जाएं;

(ii) उसके अवलोकन के बाद आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाए और अवमानना याचिका को खारिज करने का आदेश दिया जाए।

(iii) कोई अन्य आदेश जिसे यह माननीय अपीलीय पीठ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे, पारित किया जाए;

(iv) वर्तमान अपील को संपूर्ण लागत सहित स्वीकार किया जाए

सिविल विविध. न 4401 –सीआईआई का 1988

सीपीसी की धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि इस आवेदन को 26 जुलाई, 1988 को दिए गए एकपक्षीय स्थगन आदेश की अनुमति दी जाए और अपीलकर्ताओं को विवाद में दुकान का कब्जा तुरंत सौंपने का निर्देश दिया जाए।

कोई अन्य राहत जिसका प्रतिवादी हकदार पाया जाता है, उसे अपीलकर्ता के खिलाफ भी दी जाएगी, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित और उचित समझे।

अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के लिए एस.एस. राठौड़, वरिष्ठ अधिवक्ता (अधिवक्ता राज मोहन सिंह उनके साथ)।

प्रतिवादियों की ओर से सी. बी. गोयल, अधिवक्ता।

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) स्थगन आवेदन (सिविल विविध क्रमांक 4401-सीआईआई 1988) (सी) 1988 का क्रमांक 15 आज हमारे समक्ष सुनवाई के लिए आया। पक्षों की सहमति से हमने मुख्य अपील को ही निस्तारित करने का निर्णय लिया।

(2) यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के 31 मई 1988 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

(3) अपील में उठने वाले कानून के बिंदुओं की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण आवश्यक है।

(4) 21 अगस्त 1987 को, प्रतिवादी ने किराया नियंत्रक के समक्ष निम्नलिखित बयान दिया और इसका सही अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है: -

"मुरारी लाई पुत्र कंवर भान, उम्र 47 वर्ष, टेलर मास्टर, निवासी थानेसर का शपथ पर बयान और वकील श्री आर.के. सचदेवा का शपथ के बिना बयान।

मैं फिलहाल नजदीकी दुकान खाली करने को तैयार हूं।' प्रतिवादी कब्जा और वसीयत की डिलीवरी की तारीख से एक महीने के भीतर दुकान का पुनर्निर्माण करेगा

और हाउस टैक्स के अतिरिक्त 260 रुपये के मासिक किराये पर मुझे किरा ये पर दें। जिस दिन मैं कब्जा दे दूंगा, प्रतिवादी सुरक्षा के माध्यम से 10,000, रुपये जमा कर देगा। जिस दिन प्रतिवादी दुकान का कब्ज़ा प्रदान करता है। मैं उसी दिन 10,000 रु. रुपये लौटा दूंगा । मुकदमे की लागत काटने के बाद किराए का बकाया मेरे द्वारा प्रतिवादी को 31 अगस्त 1987 तक रसीद के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। मुकदमे को तदनुसार निस्तारित किया जाए और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

एसडी/ मुरारी लाई
एसडी/- आर.के. सचदेवा,
वकील

(5) उसी दिन, अपीलकर्ताओं में से एक श्री अनंत राम ने किराया नियंत्रक के समक्ष शपथ और उनके वकील के बिना शपथ के एक बयान दिया और इसका सही अनुवाद इस प्रकार है: -

"मैंने प्रतिवादी का बयान समझ लिया है जो सही है। हम उससे कब्जा लेने की तारीख से एक महीने के भीतर दुकान का पुनर्निर्माण करेंगे और 260 रुपये प्रति महीने की दर से हाउस टैक्स को छोड़कर किराया भुगतान पर उसे किराए पर दे देंगे। प्रतिवादी हमारा किरायेदार होगा। वाद का तदनुसार निस्तारण किया जाए। पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी चाहिए।

एसडी/-अनंत राम।

एसडी/- एस. सी. जैन।

(6) इन बयानों के आधार पर, किराया नियंत्रक ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"पार्टियाँ एक समझौते पर पहुँच गई हैं। इस संबंध में मुरारी लाई और अनंत राम और उनके वकील के बयान भी दर्ज किये गये हैं. प्रतिवादी ने आज से एक महीने के भीतर विवादित दुकान खाली करने का वचन दिया है, और याचिकाकर्ताओं ने इसका पुनर्निर्माण करने का वचन दिया है और वे प्रतिवादी को 10,000 रुपये का भुगतान भी करेंगे। और फिर वे इस दुकान को प्रतिवादी को 260 रुपये की दर प्रति माह प्लस हाउस टैक्स से किराए पर देंगे। और याचिकाकर्ता 10,000 रुपये की राशि वापस लेने के भी हकदार होंगे। जिसका भुगतान दुकान का पुनर्निर्माण करने के बाद उसका कब्जा प्रतिवादी को सौंपने पर किया जाएगा। फ़ाइल को रिकॉर्ड-रूम में भेज दिया जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियों ने किराया नियंत्रक के समक्ष उनके द्वारा किए गए समझौते का पालन नहीं किया ^ प्रतिवादी ने अवमानना दायर कीइस न्यायालय में याचिका के परिणामस्वरूप निम्नलिखित आदेश पारित हुआ:-

"उन्हें दो महीने के भीतर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया जाता है जैसा कि उन्होंने 1 अगस्त, 1988 को या उससे पहले किया था। ऐसा न करने पर वे अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे। याचिकाकर्ता 10,000 रुपये की राशि उक्त तिथि से पहले किराया नियंत्रक, कुरूक्षेत्र के न्यायालय में भी जमा करेगा. लेकिन कब्जा सौंपे जाने तक प्रतिवादियों को इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। अब अगली तारीख5 अगस्त 1988 पर आना है।

(7) अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप की गंभीरता यह थी कि उसने अदालत को दिए गए वचन का गंभीर उल्लंघन किया था।

(8) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अदालत को कोई स्पष्ट उपक्रम नहीं दिया गया था और किराया नियंत्रक के आदेश में कोई भी दर्ज नहीं किया गया था। पक्षों के बीच हुए समझौते के

आधार पर मुकदमे का निस्तारण कर दिया गया। समझौते को किराया नियंत्रक द्वारा न्यायालय को दिया गया एक वचन माना गया जो पार्टियों द्वारा दिए गए बयानों से उत्पन्न नहीं हुआ। अपीलकर्ताओं ने न्यायालय को दिए गए वचन का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

(9) न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 के उप-खंड बी में निहित 'सिविल अवमानना' की परिभाषा को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी होगा: -

> "2(बी) 'सिविल अवमानना' का अर्थ है अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।"
>
> किराया नियंत्रक के समक्ष पार्टियों के बयानों की जांच से पता चलता है कि पार्टियों के बीच विवाद कायम है उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर फैसला सुनाया गया। किरायेदार को कब्जा सौंपना था और मकान मालिक को दुकान का पुनर्निर्माण करना था और 260 प्रति महीने हाउस टैक्स के अलावा रुपये की दर से किराए के भुगतान पर उसे पट्टे पर देना था। शपथपत्र, यदि कोई हो, न्यायालय को नहीं बल्कि मकान मालिक द्वारा किरायेदार को दिया गया था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति दो प्रकार से शपथपत्र दे सकता है; (ए) स्पष्ट रूप से उपक्रम बताते हुए एक हलफनामा या आवेदन दाखिल करके; (बी) उसके द्वारा दिए गए स्पष्ट और स्पष्ट मौखिक वचन द्वारा और न्यायालय द्वारा अपने आदेश में शामिल किया गया।

(10) सिविल अवमानना गठित करने के लिए, न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना होगा।

(11) वर्तमान मामले में, न्यायालय को ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया था या तो हलफनामे के माध्यम से या लिस के पक्षकारों द्वारा न्यायालय में दायर याचिका पर। न्यायालय को दिए गए एक मौखिक वचन का उल्लंघन भी अवमानना माना जाएगा, यदि इसे न्यायालय के आदेश में शामिल किया गया है। वर्तमान मामले में, किराया नियंत्रक ने पार्टियों के बयान से यह निष्कर्ष निकाला कि एक वचन पत्र था जो न्यायालय को दिया गया था, लेकिन वास्तव में, ऐसा कोई वचन पत्र नहीं दिया गया था। किराया नियंत्रक ने पार्टियों के बीच हुए समझौते के अनुसार

एक सहमति आदेश पारित किया। कोई भी पक्ष निष्पादन करके समझौता आदेश लागू कर सकता है न कि अवमानना कार्यवाही का सहारा लेकर। यदि किराया नियंत्रक द्वारा पारित समझौता आदेश संकलित नहीं किया गया था, तो प्रतिवादी निष्पादन पर मुकदमा करके इसे लागू कर सकता था।

(12) न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 2 का खंड (बी) बाबू राम गुप्ता बनाम सुधीर भसीन और अन्य(1) (1) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए आया, और यह निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ: -

(13) दो साझेदार अर्थात् सुधीर भसीन और जगत्री लाई भसीन साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। साझेदारी विलेख में सामान्य मध्यस्थता खंड शामिल था। पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और परिणामस्वरूप, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया और विवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा गया। रिसीवर की नियुक्ति के आवेदन पर हाईकोर्ट ने सुधीर भसीन को लक्ष्मी टॉकीज का रिसीवर नियुक्त कर दिया। सुधीर भसीन को नियुक्त करने के आदेश के विरुद्ध एक रिसीवर, लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई थी और पार्टियों की सहमति से अपील में, श्री महाबीर प्रसाद एडवोकेट को मध्यस्थ के निर्णय तक लक्ष्मी टॉकीज के रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता से कब्जा लेने के बाद रिसीवर को उक्त सिनेमा चलाना था। उन्हें सिनेमा चलाने के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और सिनेमा चलाने के लिए लाइसेंस देने के लिए उपायुक्त से भी संपर्क करना था। अपीलकर्ता को रिसीवर को कब्जा सौंपने का कोई निर्देश नहीं था, हालांकि न्यायालय द्वारा रिसीवर को कुछ निर्देश दिए गए थे। रिसीवर को सिनेमा का कब्ज़ा नहीं दिया गया और इसके कारण अवमानना याचिका दायर की गई। आरोप यह था कि अपीलकर्ता ने अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन किया था क्योंकि उसने रिसीवर को सिनेमा का कब्ज़ा नहीं दिया था। इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की: -

---

(1) ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1528.

"तत्काल मामले में, हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता द्वारा न तो कोई आवेदन दिया गया है, न ही कोई हलफनामा और न ही कोई लिखित वचन दिया गया है कि वह रिसीवर के साथ सहयोग करेगा या वह सिनेमा का कब्ज़ा उसे सौंप देगा। रिसीवर. इसके अलावा, सहमति आदेश में भी स्पष्ट या स्पष्ट रूप से यह शामिल नहीं है कि अपीलकर्ता या उसके वकील द्वारा अदालत के समक्ष ऐसा कोई वचन दिया गया था कि वह संपत्ति का कब्जा रिसीवर को सौंप देगा। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए किसी स्पष्ट वचन या आक्षेपित आदेश में शामिल किसी वचन के अभाव में, यह मानना मुश्किल होगा कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर ऐसे वचन की अवज्ञा की है या उसका उल्लंघन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने जो किया है वह यह है कि उसने पारित सहमति आदेश को स्वीकार कर लिया जिस पर पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और जिसके द्वारा एक रिसीवर नियुक्त किया गया था, जिसमें आदेश में निहित निर्देशों को पूरा करने के लिए अवमाननाकर्ता द्वारा दिया गया वचन भी शामिल था। उचित सम्मान के साथ, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। कुछ उदाहरणों से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से कितना अस्थिर है। एक मुकदमे का उदाहरण लें जहां प्रतिवादी 10,000 रुपये के लिए डिक्री से सहमत है, उसके खिलाफ 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है और अदालत तदनुसार डिक्री पारित कर सकती है। प्रतिवादी डिक्री का भुगतान नहीं करता है. क्या इन परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी डिक्रीटल राशि का भुगतान करने में विफल रहा है वह न्यायालय की अवमानना का दोषी है? उत्तर आवश्यक रूप से नकारात्मक होना चाहिए। एक और उदाहरण लें जहां पार्टियों के बीच एक समझौता होता है और एक विशेष संपत्ति ए को आवंटित की गई है, उसे बी द्वारा उस पर कब्जा करना होगा। बी इस संपत्ति का कब्जा ए को नहीं देता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि समझौता डिक्री को बी द्वारा लागू नहीं किया गया है, वह न्यायालय की अवमानना का अपराध करता है? यहां भी उत्तर नकारात्मक होना चाहिए और ए का उपाय बी के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही तैयार करने के लिए प्रार्थना करना नहीं होगा, बल्कि संहिता के प्रावधानों के

तहत कब्जे की डिलीवरी के वारंट का निर्देश देने के लिए निष्पादन अदालत से संपर्क करना होगा। नागरिक प्रक्रिया।"

उपरोक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह आकर्षित है। हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ताओं ने अदालत को कोई वचन दिया था और किसी भी उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। विद्वान किराया नियंत्रक ने ग़लती से यह मान लिया कि पार्टियों के बीच समझौता उससे पहले ही हो गया था, जब वह उसे दिए गए वचन की प्रकृति का था।

(14) उपरोक्त निर्देश जारी करने में एकल न्यायाधीश ने गलती की। हमने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि किराया नियंत्रक का आदेश निष्पादन योग्य है और यदि प्रतिवादी को सलाह दी जाती है, तो वह आदेश का निष्पादन कर सकता है। अपील स्वीकार की जाती है. नियम का निर्वहन किया जाता है. जब भी निष्पादन याचिका दायर की जाएगी, विद्वान किराया नियंत्रक उसका शीघ्रता से निपटान करेगा।

एस.सी.के.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*